|| श्री ||

अपील प्रकरण क्रमांक : ..../201....-....

प्रस्तुति दिनांक : ..../....../201.....

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/इंदौर/भू०रा/2018/1741

1. जे.के.एम इन्वेस्टमेंट प्रायवेट लिमिटेड
पताः- सी-9/15, डी.एल.एफ, फेस-1,
गुडगांव (हरियाणा) तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि
महेन्दर सैनी पिता श्री होशियारसिंह सैनी
निवासीः- श्रीराम इनक्लेव, एम.आर-10,
इंदौर (म.प्र.) .....प्रार्थी

श्री .... 13.3.18 को द्वारा आज दिनांक .... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.3.18 नियत। 13-3-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती मुल्लोबाई पति स्व.श्री द्वारकाप्रसाद
2. ओमप्रकाश पिता स्व.श्री द्वारकाप्रसाद
3. श्रीमती कमलाबाई पुत्री स्व.श्री द्वारकाप्रसाद
पति स्व.श्री शिवनारायण
सभी निवासी-13, दिलीप सिंह कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
4. मोहम्मद इस्माईल पिता स्व. मोहम्मद हसन
5. मोहम्मद इब्राहिम पिता स्व. मोहम्मद हसन
6. मोहम्मद इसहाक पिता स्व. मोहम्मद हसन
7. मोहम्मद मुश्ताक पिता स्व. मोहम्मद हसन
सभी निवासी-1293, मुकेरी मोहल्ला, महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.)
8. रामदेव पिता श्री बबरू (बबउ) मृतक तर्फे वारिस,
हृदयनाथ मौर्य पिता स्व.श्री रामदेव
निवासी-555, सेक्टर-सी, सुखलिया,
एम.आर.-10 के पास, इन्दौर (म.प्र.)
9. मोहम्मद असलम पिता स्व.अब्दुल करीम,
7/1 कृष्णपुरा इंदौर ......प्रतिप्रार्थी

13.3.18

अविरत.........(2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय सांवेर जिला इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–6/2017–2018 में दिनांक 22/01/2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /इंदौर/भूरा/18/1741

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक के द्वारा अपर आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 10-01-2018 की प्रति प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में अभिलेख प्राप्त होने के कारण स्थगन नहीं बढाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं रोका जाकर अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार नहीं होने से यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	